संख्या-941/2018/1813/22-2-2018-17(56)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 ओंकार बक्श सिंह, निवासी जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.08.2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 ओंकार बक्श सिंह, जो- दखिनगॉव, थाना-मुसाफिरखाना, जनपद-अमेठी का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन विवाद को लेकर दिनांक 18.03.1980 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-237/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 26.02.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.2015 द्वारा धारा-304(1) में आजीवन कारावास को लघुकृत करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास में परिवर्तित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.04.2018 तक 02 वर्ष 07 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 11 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिव प्रसाद सिंह (बन्दी संख्या-103/2015) पुत्र स्व0 ओंकार बक्श सिंह, निवासी जनपद-अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-941/2018/1813(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in